उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-27/2020/232/92-2-20-54एम/2019

लखनऊ:: दिनांक:: 22 जनवरी 2020

कार्यालय-ज्ञाप

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर द्वारा दिनांक 30.05.2019 को जनपद-कुशीनगर में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन कप्तानगंज हाटा मार्ग से ओखर भिण्डा बेलहिया टोला सम्पर्क मार्ग एवं घोडादेउर से रिडिया सम्पर्क मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कार्य की प्रगति मन्द तथा गुणवत्ता में अनेक कमियां पायी गयी, साथ ही कार्यस्थल पर निदेशालय के निर्देशानुसार साइट आर्डर बुक एवं क्वालिटी एन्शोरेन्स रजिस्टर का रख-रखाव सही न पाये जाने, साइन बोर्ड का कलर स्कीन निर्धारित कलर स्कीन से भिन्न पाये जाने आदि हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-1568/92-2-19-54एम/2019 दिनांक 11-09-2019 द्वारा श्री अतहर परवेज, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कुशीनगर, से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में श्री अतहर परवेज, सहायक अभियंता के पत्र दिनांक 21.10.2019 द्वारा बचाव उत्तर शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी, श्री अतहर परवेज, सहायक अभियंता के बचाव उत्तर में मुख्य रूप से यह उल्लिखित किया गया कि अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर के निरीक्षण दि0 30.05.2019 में परिलक्षित कमियों का निराकरण कराते हुये कार्य कराया जा रहा है परन्तु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर के निरीक्षण के समय पायी गयी कतिपय कमियों से श्री परवेज की कार्यो के प्रति शिथिलता एवं लापरवाही को दर्शाता है। अतएव श्री अतहर परवेज, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कुशीनगर के विरूद्ध शासन के पत्र दिनांक 11-09-2019 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस को उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"श्री अतहर परवेज, सहायक अभियंता के बचाव उत्तर में मुख्य रूप से यह उल्लिखित किया गया कि अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर के निरीक्षण दि0 30.05.2019 में परिलक्षित कमियों के दृष्टिगत श्री अतहर परवेज, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कुशीनगर को परिनिन्दित किया जाता है।"

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

राजेन्द्र कुमार सिंह

विशेष सचिव।

**संख्या-27/2020/232/(1)/92-2-2020 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री अतहर परवेज, सहायक अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-कुशीनगर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अवध नारायण )

उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in